अध्याय–4
राज्य आबकारी

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–4: राज्य आबकारी

4.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[1] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क[2] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं नियम[3], मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं। आबकारी विभाग, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जोन में विभाजित है जिसके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित जनपदों के सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षकों की तैनाती होती है जो आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व के आरोपण/उद्ग्रहण की देखरेख एवं विनियमन करते हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 236 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 77[4] इकाइयों (33 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने 2015–16 के दौरान ₹ 14,083.54 करोड़ राजस्व अर्जित किया, जिसमे लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 4,521.34 करोड़ (32 प्रतिशत) संग्रहीत किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 14 जिला आबकारी कार्यालयों जिन्होंने 2012–13 से 2016–17 के दौरान ₹ 4,910.02 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था, की भी नमूना जाँच अक्टूबर 2016 और जून 2017 के मध्य की गयी थी।

लेखापरीक्षा जाँच में आबकारी अभिकर की कम वसूली, अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज आदि की वसूली नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,490.43 करोड़ के 202 प्रस्तर प्रकाश में आये, जैसा कि **सारणी–4.1** में दर्शाया गया है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

---

1 2016–17 के कुल आबकारी राजस्व में देशी मदिरा का 51 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 का 33 प्रतिशत, बीयर का 13 प्रतिशत एवं अन्य का तीन प्रतिशत हिस्सा था।

2 दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बारों, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

3 उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर बिक्री)(तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

4 जिला आबकारी कार्यालयों (36), आसवनियाँ (31) एवं चीनी मिलें (10)।

सारणी–4.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (करोड़ ₹ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	आबकारी अभिकर की कम वसूली होना	44	110.58	7.42
2.	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	65	87.15	5.85
3.	अन्य अनियमितातायें	93	1,292.70	86.73
योग		**202**	**1,490.43**	

(**स्रोत:** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

विभाग ने कुल 2,712 मामलों में से 39 मामलों में ₹ 68.79 लाख अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जो कि 1999–2000 और 2007–08 व 2016–17 के मध्य इंगित किये गये थे, और सम्बन्धित बकाये राजस्व को वसूल किया।

इस अध्याय में ₹ 1,404.25 करोड़ के पाँच प्रस्तरों[5] पर चर्चा की गयी है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षो के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है, जैसा कि **सारणी–4.2** में वर्णित है।

सारणी – 4.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	-	-	639	53.68	-	-	32	3.66	1,007	37.43	1,678	94.77
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर का बिक्री किया जाना	-	-	1,370	16.80	87	1.31	-	-	364	6.70	1,821	24.81
मॉडल शॉप पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण	27	1.54	393	7.51	-	-	2	0.36	-	-	422	9.41

संस्तुति :

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिये कि लेखापरीक्षा के दौरान नियमित रूप से पाये जाने वाली सतत् अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

4.3 दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लोक लेखा समिति के निर्देशों पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 843.16 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 453.91 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 1,297.07 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

उत्तर प्रदेश आबकारी (फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) की विभिन्न

[5] पाँच प्रस्तर 15,579 मामलों को सम्मिलित करते हैं।

नियमावलियाँ[6] निर्दिष्ट करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[7](बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क[8] (अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति[9] धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि का समपहरण अपेक्षित है एवं इन दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 2012–13 और 2014–15 से 2015–16 के दौरान 1,678 मामलों में दुकानों के निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति के समपहरण में विफलता के कारण धनराशि ₹ 94.77 करोड़ की सतत् हानि को उजागर किया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा ने 50 में से 26[10] जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि 27,562 में से 14,334 मदिरा की दुकानों (52 प्रतिशत) जो कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विलम्ब की औसत अवधि 138 दिन थी। तथापि, जिला आबकारी अधिकारियों (जि0आ0अ0) द्वारा नियमों में उल्लिखित, कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। यद्यपि प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत कोई छूट अनुमन्य नहीं है, विलम्ब पर कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1,297.07 करोड़ (बे0अ0शु0/अ0शु0 ₹ 843.16 करोड़ और जमा प्रतिभूति ₹ 453.91 करोड़) की धनराशि जब्त नहीं हुई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2012–13 के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर लोक लेखा समिति ने प्रमुख सचिव, आबकारी को निर्देश दिया (मई 2015) कि चूककर्ता अनुज्ञापियों के विरूद्ध कार्यवाही करें एवं सुनिश्चित करें कि समान अनियमितता भविष्य मे दोहरायी न जाये।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया, परन्तु वर्ष के मध्य में दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन में व्यवहारिक कठिनाइयों को व्यक्त किया। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग न तो अनुज्ञापन धारकों से समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयास कर रहा था और न ही मौजूदा नियमों के अनुसार चूककर्ताओं की जमा धनराशि का समपहरण कर रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये इस सम्बन्ध में सरकार को नियमों या प्रक्रियाओं में संशोधन जैसे किसी वैकल्पिक तरीके का सुझाव नहीं दिया।

संस्तुतिः

विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

---

6 उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

7 बे0अ0शु0– ₹ 22 प्रति बी0एल0 (2012–13), ₹ 23 प्रति बी0एल0 (2013–14), ₹ 24 प्रति बी0एल0 (2014–15) एवं ₹ 25 प्रति बी0एल0 (2015–16 एवं 2016–17)।

8 अ0शु0– ₹ 159 प्रति बी0एल0 (2012–13), ₹ 184 प्रति बी0एल0 (2013–14), ₹ 204 प्रति बी0एल0 (2014–15), ₹ 227 प्रति बी0एल0 (2015–16) एवं ₹ 226 प्रति बी0एल0 (2016–17)।

9 दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

10 जि0आ0का0: आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, इटावा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहॉपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

4.4 बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये बीयर बार अनुज्ञापन जारी नहीं किये जाने से 2012–13 से 2016–17 के दौरान 720 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में ₹ 13.59 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जैसा कि उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002 में परिभाषित है, विदेशी मदिरा में माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, आदि शामिल है, परन्तु बीयर शामिल नहीं है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2002 के अनुसार होटलों, डाक बंगलों या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र एफ0एल0–7ख में बीयर बार अनुज्ञापन अपेक्षित है। एफ0 एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 अनुज्ञापन केवल ड्राफ्ट बीयर की बिक्री को आच्छादित करता है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 2012–13 से 2013–14 और 2015–16 के दौरान 1,821 मामलों में ₹ 24.81 करोड़ की सतत् हानि को उजागर किया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 50 में से 29[11] जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान एफ0एल0–6, एफ0एल0–6ए (सम्मिश्र) और एफ0एल0–7 श्रेणी के अन्तर्गत व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये होटलों/जलपान गृह बारों के 797 में से 720 अनुज्ञापनों के उपभोग अभिलेखों ने दर्शाया कि अनुज्ञापियों ने भा0नि0वि0म0 के अतिरिक्त बोतल बंद बीयर बेचा था जो कि जारी अनुज्ञापनों से अच्छादित नहीं थी। सम्बन्धित जि0आ0अ0 ने बोतल बंद बीयर बेचने के लिये एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये अनुज्ञापियों को विवश नहीं किया। परिणामस्वरूप, शासन ₹ 13.59 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर दिया कि दिनांक 20 दिसम्बर 1980 की अधिसूचना[12] के अनुसार बीयर को विदेशी मदिरा की परिभाषा में शामिल किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। नियमों से पहले जारी की गयी अधिसूचना उन नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है जो अधीनस्थ कानून गठित करते हैं।

संस्तुतिः

विभाग को सम्बन्धित अधिसूचना में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करना चाहिये कि वह नियमों के अनुरूप हो जिससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके। इस प्रक्रिया में यदि यह लगता है कि आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधान अलाभकारी हैं, तो विभाग नीति की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

---

11 जि0आ0का0: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बलिया, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, देवरिया, फैजाबाद, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, उन्नाव एवं वाराणसी।

12 सं0 8272-ई/XIII-656-79 दिनांक 20 दिसम्बर 1980।

4.5 मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण

आबकारी नीति में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप्स का अनुज्ञापन शुल्क नियत न किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2.49 करोड़ का कम आरोपण।

राज्य आबकारी नीति के अनुसार, मॉडल शॉप[13] की दुकान के लिये अनुज्ञापन शुल्क उसी वर्ष नगर में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एव बीयर दोनों की फुटकर दुकानों के उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की संचित धनराशि पर नियत किया जाना था। परन्तु यह आबकारी नीति में प्रदान की गयी न्यूनतम/अधिकतम निर्धारित सीमा से कम/अधिक नहीं हो सकता जैसा कि **सारणी–4.3** में वर्णित है।

सारणी–4.3

(₹ लाख में)

वर्ष	अधिसूचना का दिनांक	न्यूनतम अनुज्ञापन शुल्क	अधिकतम अनुज्ञापन शुल्क
2014–15	29 जनवरी 2014	12.65	34.50
2015–16	12 जनवरी 2015	14.55	39.70
2016–17	17 फरवरी 2016	14.55	39.70

(**स्रोतः** सरकार द्वारा जारी आबकारी नीति से सूचना)

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 2011–12 से 2012–13 और 2014–15 के दौरान 422 मामलों में ₹ 9.41 करोड़ की सतत् हानि को उजागर किया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 50 में से आठ[14] जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 73 में से 44 व्यवस्थित मॉडल शॉप्स के सम्बन्ध में नगर में व्यवस्थित दोनों विदेशी मदिरा और बीयर की फुटकर दुकानों से संचित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की गणना ₹ 10.93 करोड़ की गयी। विभाग ने बिना कोई कारण बताये इन मॉडल शॉप्स से ₹ 8.44 करोड़ का कुल अनुज्ञापन शुल्क नियत एवं वसूल किया। अनुज्ञापन शुल्क का आंकलन करते समय, सम्बन्धित जि0आ0अ0 ने आबकारी नीति में प्रदान किये गये नगर में दोनों विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों से प्राप्त उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि को अनदेखा कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर दिया कि इन मॉडल शॉप्स हेतु अनुज्ञापन शुल्क का आरोपण एवं वसूली आबकारी नीति के अनुसार की गयी थी। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित जि0आ0अ0 ने इन मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण करते समय आबकारी नीति में प्रदान किये गये नगर में दोनों विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों से प्राप्त उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की संचित धनराशि की शर्त को अनदेखा कर दिया।

संस्तुतिः

विभाग को मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क को निर्धारित करते समय आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुपालन में समुचित सावधानी सुनिश्चित करनी चाहिये।

---

[13] मॉडल शॉप एक अनुज्ञापन प्राप्त मदिरा की दुकान होती है जिसमें कम से कम 600 वर्ग फीट कारपेट एरिया एवं पीने की सुविधा हो।

[14] जि0आ0का0: बहराइच, बाँदा, बाराबंकी, एटा, गाजीपुर, गोण्डा, रामपुर एवं उन्नाव।

4.6 देशी मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) का विगत वर्ष की न्यू0प्र0मा0 से कम पर निर्धारण

विभाग ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिये 37.33 लाख बी0एल0 न्यू0प्र0मा0 का कम निर्धारण किया। इस प्रकार शासन बेसिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.08 करोड़ तथा अनुज्ञापन शुल्क ₹ 78.85 करोड़ से वंचित रहा।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की आबकारी नीतियों के अनुसार जिले में देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा[15] (न्यू0प्र0मा0) का निर्धारण विगत वर्ष की न्यू0प्र0मा0 के सापेक्ष 2012–13 से 2014–15 में छः प्रतिशत, 2015–16 में आठ प्रतिशत एवं 2016–17 में चार प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाना था। दुकानों का व्यवस्थापन न्यू0प्र0मा0 में उपरोक्त वृद्धि प्रभावी करते हुये किया जाना था और बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[16] की वसूली उनके लिये निर्धारित न्यू0प्र0मा0 के अनुसार की जानी थी। अनुज्ञापन शुल्क[17] का समायोजन आसवनी स्तर पर पहले से ही भुगतान किये गये आबकारी अभिकर से किया जाता है। वर्षानुवर्ष अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों की न्यू0प्र0मा0 विगत वर्ष के न्यू0प्र0मा0 से कम नहीं होनी चाहिये।

लेखापरीक्षा ने 50 जिला अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान इन जिलों में देशी मदिरा की 6,522 व्यवस्थित दुकानों में से आठ[18] जिलों की 391 दुकानों में विगत वर्ष के निर्धारित न्यू0प्र0मा0 के स्तर से न्यू0प्र0मा0 वस्तुतः कम किया गया जबकि विद्यमान निर्देशों में इसमें वृद्धि का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार विगत वर्ष के न्यू0प्र0मा0 179.03 लाख बी0एल0 के बजाय जि0आ0अ0 ने बिना कोई कारण बताये दुकानों को 141.70 लाख बी0एल0 न्यू0प्र0मा0 पर व्यवस्थित किया। इसके परिणामस्वरूप 2012–13 से 2016–17 की अवधि मे 37.33 लाख बी0एल0 न्यू0प्र0मा0 का कम निर्धारण हुआ। इस प्रकार से शासन बेसिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.08 करोड़ एवं अनुज्ञापन शुल्क ₹ 78.85 करोड़ से वंचित रहा।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर में बताया कि देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 का निर्धारण विद्यमान आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। उत्तर सही नहीं है। सम्बन्धित जि0आ0अ0 ने देशी मदिरा की दुकानों को विगत वर्ष के न्यू0प्र0मा0 से कम पर व्यवस्थित किया जो आबकारी नीति के अनुरूप नहीं था।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जि0आ0अ0 देशी मदिरा की दुकानों की न्यू0प्र0मा0 का निर्धारण पिछले वर्ष से कम पर आबकारी नीति का उल्लंघन करके न करें।

---

[15] जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित देशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा जिसे अनुज्ञापी ने आबकारी वर्ष या आबकारी वर्ष के भाग के दौरान अपने देशी मदिरा की दुकान या दुकानों के समूह जिसके लिए उसने अनुज्ञापन प्राप्त किया है, में फुटकर बिक्री के उद्देश्य से उठाने हेतु प्रत्याभूत किया है।

[16] बेसिक अनुज्ञापन शुल्क का आशय प्रतिफल के ऐसे भाग से है जो देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के एकांतिक विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन धारक के रूप में चुने गये व्यक्ति द्वारा अनुज्ञापन स्वीकृत होने से पूर्व देय है।

[17] अनुज्ञापन शुल्क का आशय प्रतिफल के ऐसे शेष भाग से है जो देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के एकांतिक विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन धारक के रूप में चुने गये व्यक्ति द्वारा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त देय है।

[18] आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखनऊ एवं वाराणसी।

4.7 भा0नि0वि0म0 की फुटकर अनुज्ञापन की दुकानों के व्यवस्थापन पर विगत वर्ष से कम अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण

भा0नि0वि0म0 की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क से कम किया गया था। इस प्रकार शासन ₹ 3.17 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा।

वर्ष 2014–15 और 2015–16 की आबकारी नीति के अनुसार, भा0नि0वि0म0 की फुटकर दुकानों के लिये अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि करके किया जाना था। यह भी प्रावधानित किया गया था कि भा0नि0वि0म0 की फुटकर दुकानों के लिये अनुज्ञापन शुल्क, विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क से कम नहीं होना चाहिये। वर्ष 2016–17 में भा0नि0वि0म0 की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2015–16 में निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क के समान था।

लेखापरीक्षा ने पाँच[19] जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 90 दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष से कम कर दिया गया था। इस प्रकार विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क ₹ 19.71 करोड़ के बजाय जि0आ0अ0 ने बिना कोई कारण बताये दुकानों का व्यवस्थापन ₹ 16.54 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क पर किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ अनुज्ञापन शुल्क का कम निर्धारण हुआ।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर में बताया कि भा0नि0वि0म0 की दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित जि0आ0अ0 ने भा0नि0वि0म0 की दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष के स्तर से कम कर दिया जबकि अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित वर्ष की आबकारी नीति के अनुसार किया जाना था।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जि0आ0अ0 निरपवाद रूप से भा0नि0वि0म0 की दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण आबकारी नीति के अनुसार करें। इस प्रक्रिया में यदि यह लगता है कि आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधान अलाभकारी हैं, तो विभाग नीति की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

[19] आगरा, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर नगर एवं लखनऊ।